



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266512
CG-DL-E-29092025-266512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 636]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.720(अ).—कतिपय नियमों का प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की उपधारा (2) के खंड (ध) और खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335(अ), तारीख 22 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जैसा कि उक्त संहिता की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, जिसमें इनसे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के अवसान पर या उससे पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 मई, 2025 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब, इसलिए, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 की उपधारा (2) के खंड (ध) और खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, मजदूरी संहिता (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मजदूरी संहिता (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 में, नियम 3 के, उप-नियम (3) में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) अध्यक्ष - प्रभारी मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार;”।

[फा.सं.एस-32022/1/2024-डब्ल्यूसी]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025.

G.S.R. 720(E).—Whereas the draft of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clauses (s) and (t) of sub-section (2) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 335(E), dated the 22nd May, 2025, as required by sub-section (1) of section 67 of the said Code, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on 22nd May, 2025;

And whereas no objections or suggestions have been received on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (s) and (t) of sub-section (2) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Code on Wages (Central Advisory Board) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021, in rule 3, in sub-rule (3), for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

“(i) the Chairperson — Minister in Charge, Ministry of Labour and Employment, Government of India;”.

[F.No. S-32022/1/2024-WC]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 143(E), dated the 1st March, 2021.